



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकर से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1666]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 1666]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ASADHA 13, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2016

का. आ. 2297 (अ) केन्द्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 3 और 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की दिनांक 03 दिसम्बर 2015 की का. आ. सं. 3270 (अ) के तहत दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"5" सुश्री डोला मेन

मदस्य

मंसद मदस्य, राज्य सभा

[फा. सं. 01/9/2009 - ईपी (एमपी) - खण्ड -I]

मंतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 3 दिसम्बर 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात दिनांक 18 जनवरी 2016 को मा. का. नि. संख्या 79 (अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2016

S.O. 2297(E).— In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, published *vide* S.O. No. 3270(E) dated the 3rd December, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) dated 4th December, 2015 namely:-

In the said notification, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"5" Ms. Dola Sen. -Member
Member of Parliament, Rajya Sabha

[F. No. 01/9/2009 - EP (MP) - Vol.I]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (ii) dated 03.12.2015 and subsequently amended *vide* G.S.R.No. 79(E) dated 18.01.2016.